

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31496-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ५ का संशोधन.
४. धारा १३ का संशोधन.
५. प्रथम अनुसूची का संशोधन.
६. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(३) मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर, उपधारा (१) के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से “हरित कर” देय होगा.

(४) उपधारा (१) और (३) के अधीन देय कर के अतिरिक्त मोटरयान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से “अंतरण कर” देय होगा.”

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (२) में, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु ऐसा यान जो कि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत है और जिसके जीवनकाल कर का संदाय द्वितीय सूची में विनिर्दिष्ट दर से किया गया है, ऐसे यान का स्वामी जीवनकाल कर का २५ प्रतिशत शास्ति के रूप में जमा करने का दायी होगा.”

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद पांच में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक “५०००” के स्थान पर, अंक “१२०००” स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत था और जिसका पंजीकृत लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा :—

(क) १२००० किलोग्राम से अधिक परन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपये ३२५० प्रति तिमाही

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए, रुपये २५० प्रति तिमाही :

परन्तु यान के स्वामी को द्वितीय अनुसूची के मद ७ के अनुसार जीवनकाल कर भुगतान करने का विकल्प होगा."

(ग) उप मद (३) में, स्पष्टीकरण ३ एवं ४ का लोप किया जाए;

(दो) मद छह में, कालम (२) में, अंक "४८०" के स्थान पर, अंक "६००" स्थापित किए जाएं;

(तीन) मद आठ के पश्चात्, निम्नलिखित नए मद अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"नौ. अंतरण कर

स्वामित्व के अंतरण के समय, निम्नलिखित अंतरण कर देय होगा :—

(एक) गैर परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.

(दो) परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का ०.५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.— यान के स्वामी की मृत्यु होने पर स्वामित्व के अंतरण की दशा में अथवा मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के अधीन सरकार द्वारा लोक नीलामी द्वारा अंतरण पर इस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त मोटरयान कर देय नहीं होगा.

दस. हरित कर

(१) पंजीयन के नवीकरण के समय अथवा पंजीयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, गैर परिवहन यान पर निम्नलिखित हरित कर देय होगा—

(क) दो पहिया वाहन पर रुपए ५०० (पांच वर्ष के लिए)

(ख) दो पहिया वाहन से भिन्न अन्य यान पर रुपए १००० (पांच वर्ष के लिए).

(२) विनिर्माण वर्ष से आठ वर्ष पुराने परिवहन यान का फिटनेस प्रमाण-पत्र के समय, निम्नलिखित हरित कर देय होगा—

(क) दो पहिया वाहन, हल्के मोटरयान एवं मध्यम मोटरयान रुपए ५००

(ख) भारी मोटरयान रुपए १०००".

६. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) मद १, २ तथा ३ का लोप किया जाए;

(दो) मद ४ के पश्चात्, निम्नलिखित नई मदें स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"४ क. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनका मानक मूल्य १० लाख तक हो—

(क) डीजल द्वारा चलित

यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत

- (ख) पेट्रोल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
- (ग) हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
- (घ) बैटरी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत
- ४ ख. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जिनका मानक मूल्य रुपए १० लाख से अधिक हो—
- (क) डीजल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ९ प्रतिशत
- (ख) पेट्रोल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत
- (ग) हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
- (घ) बैटरी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
- ४ ग. ऐसे दुपहिया तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मध्यप्रदेश राज्य में लाए गए हो, उक्त यान का स्वामी मद ४ क तथा ४ ख में उल्लिखित दरों के निम्नलिखित प्रतिशत में कर का संदाय करेगा—
- (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने पंजीकृत यान. ८० प्रतिशत
- (ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान. ६० प्रतिशत”;

(तीन) मद ५ का लोप किया जाए;

(चार) मद ७ में, शब्द तथा अंक “रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है तथा” का लोप किया जाए तथा उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु ऐसे माल यान जिनका लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची के मद पांच (२) के अनुसार कर के संदाय का विकल्प होगा.”;

(पांच) मद ७ के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“७ क ऐसे माल यान अथवा ऐसे मोटरयान जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों की किसी श्रेणी के अंतर्गत न हों, जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन पर जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी :—

- (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने माल यान/मोटर यान यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत
- (ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने माल यान/मोटर यान यान के मानक मूल्य का ४ प्रतिशत

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) राज्य में मोटरयानों पर कर के उद्ग्रहण के संबंध में विधि एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में कर दरें मोटरयानों के विभिन्न रूपान्तर एवं प्रवर्ग के उपयोग के आधार पर नियत की गई हैं। यानों की संख्या तथा प्रकार में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कर के उद्ग्रहण को युक्तिसंगत करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

२. पर्यावरणीय प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदूषण करने वाले यानों को अतिरिक्त कर अधिरोपित करके हतोत्साहित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिये हरित कर अधिरोपित करने का उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

३. यान के स्वामित्व के स्थानांतरण की दशा में “स्थानांतरण कर” के उद्ग्रहण के लिये भी उपबंध किया गया है।

४. अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके अथवा बिना अनुज्ञा के चलाए जा रहे यानों की दशा में, जीवन काल कर का भुगतान करने वाले यानों के लिये, जीवन काल कर के किसी प्रतिशत की शास्ति का उपबंध किया गया है।

५. ऐसे माल यान के स्वामियों के लिये जिनका पंजीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम तक है जीवन काल कर का उपबंध अधिनियम में पूर्व से ही विद्यमान है। अब १२००० किलोग्राम तक के लदान भार वाले पंजीकृत मालयान को जीवन काल कर के अधीन लाना प्रस्तावित है। ऐसे यान के लिए जिनका लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक है, त्रैमासिक कर के साथ जीवन काल कर के लिए विकल्प दिया गया है जिससे कि यान का स्वामी अन्य विकल्प का लाभ उठा सके।

६. द्वितीय अनुसूची में, कर की दरें और अधिक स्पष्ट करके युक्तियुक्त और सरलीकृत की है।

७. अतएव, अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

८. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
दिनांक ६ दिसम्बर, २०१६.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.